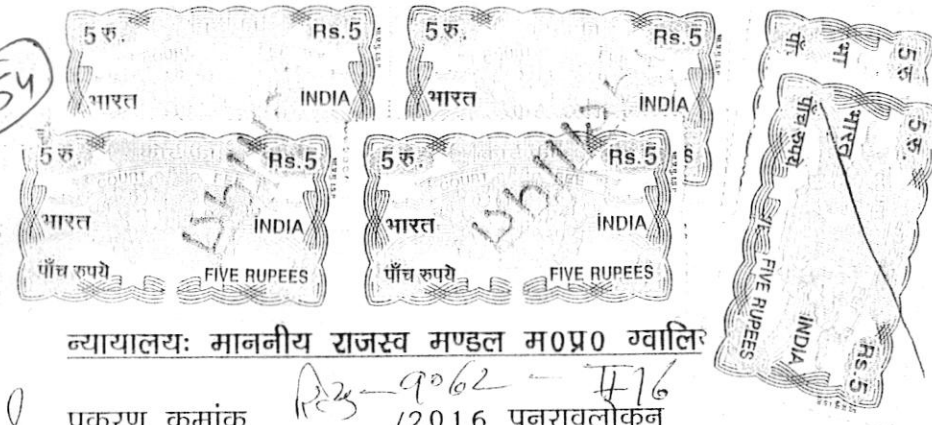

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू–9062–II/16 /2016 पुनरावलोकन

एस० के० श्रीवास्तव एड०
29–5–16 को
29–5–16

रामभिलास पुत्र श्री शिवमंगल प्रसाद उम्र– 50 वर्ष व्यवसाय– खेती, निवासी– ग्राम व पोस्ट पाडर हाल मुकाम अटरिया, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) --आवेदक

S.K. Shrivastava Adv.

बनाम

1. त्रिवेणी प्रसाद पुत्र श्री रामकृपाल ब्राम्हण उम्र – 60 वर्ष व्यवसाय– खेती, निवासी– ग्राम व पोस्ट पाडर, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन --**अनावेदकगण**

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 08/04/2011 पारित द्वारा माननीय सदस्य **महोदय** राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक आर–1160–II/10 पुनरीक्षण व उनवान रामभिलास बनाम त्रिवेणी आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

...णा ... आदेश ...णा अभिलेख से दर्शित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यू 9062–दो / 16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8–4–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	